



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-272956
CG-DL-E-30052026-272956

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2620]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2620]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2713(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ओडिशा राज्य में एनएच-२६ पर, बरगढ़ ज़िले में किमी. २१.२०६ और किमी. २६.९८३ पर ईपीसी मोड के तहत २-लेन पुलों का निर्माण। तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार, बरपाली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

ओडिशा राज्य में एनएच-२६ पर, बरगढ़ ज़िले में किमी. २१.२०६ और किमी. २६.९८३ पर ईपीसी मोड के तहत २-लेन पुलों का निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: बरगढ़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बरपाली					
गांव का नाम: महादा					
1	720	निजी	एग्रीकल्चर	0.3410005 (एकर)	0.1380008
2	957	निजी	एग्रीकल्चर	0.2099999 (एकर)	0.0849858
3	966	निजी	एग्रीकल्चर	0.115 (एकर)	0.0465399
4	966/1691	निजी	एग्रीकल्चर	1.09 (एकर)	0.441117
5	967	निजी	एग्रीकल्चर	0.16 (एकर)	0.0647511
6	967/1728	निजी	रेसिडेंशियल	0.2 (एकर)	0.0809389
7	968	निजी	एग्रीकल्चर	0.433999 (एकर)	0.1756374
8	969	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.07 (एकर)	0.0283286
9	971	निजी	एग्रीकल्चर	0.324 (एकर)	0.131121
10	972	निजी	एग्रीकल्चर	1.529999 (एकर)	0.6191825
11	978	निजी	एग्रीकल्चर	0.2590003 (एकर)	0.1048159
12	979	निजी	एग्रीकल्चर	0.107 (एकर)	0.0433023
13	980	निजी	एग्रीकल्चर	0.0299999 (एकर)	0.0121408
गांव का नाम: धनगरपाली					
14	42	निजी	एग्रीकल्चर	0.14 (एकर)	0.0566572
15	47	निजी	एग्रीकल्चर	0.0139999 (एकर)	0.0056657
16	47/1481	निजी	एग्रीकल्चर	0.0457 (एकर)	0.0184945
17	48	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.46 (एकर)	0.1861594
18	49	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.17 (एकर)	0.0687981
19	50	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0600001 (एकर)	0.0242817
20	51	निजी	एग्रीकल्चर	0.1000001 (एकर)	0.0404695
21	52	निजी	एग्रीकल्चर	0.462 (एकर)	0.1869688

22	53	निजी	एग्रीकल्चर	0.113 (एकर)	0.0457305
गांव का नाम: बरपाली					
23	2870	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.015 (एकर)	0.0060704
24	2871	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0090001 (एकर)	0.0036423
25	2872	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.036 (एकर)	0.014569
26	2873	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.009 (एकर)	0.0036423
27	2874	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0289999 (एकर)	0.0117361
28	2887	निजी	एग्रीकल्चर	0.016 (एकर)	0.0064751
29	2887/10198	निजी	रेसिडेंशियल	0.006 (एकर)	0.0024282
30	2887/6050	निजी	रेसिडेंशियल	0.006 (एकर)	0.0024282
31	2887/6745	निजी	एग्रीकल्चर	0.0050001 (एकर)	0.0020235
32	2887/6795	निजी	एग्रीकल्चर	0.003 (एकर)	0.0012141
33	2887/8852	निजी	एग्रीकल्चर	0.0070001 (एकर)	0.0028329
34	2887/8853	निजी	एग्रीकल्चर	0.001 (एकर)	0.0004047
35	2887/9255	निजी	रेसिडेंशियल	0.011 (एकर)	0.0044516
36	2887/9360	निजी	एग्रीकल्चर	0.005 (एकर)	0.0020235
Total					2.6680293

[फा. सं. Ro/BBSR/11017/LA/97/2016/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2026

S.O. 2713(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Construction of 2 Lane Bridges at Km.21.206 & Km. 26.983 at Bargarh District on NH-26 in the State of Odisha under EPC Mode, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahasildar, Barpali in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard,

either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Construction of 2 Lane Bridges at Km.21.206 & Km. 26.983 at Bargarh District on NH-26 in the State of Odisha under EPC Mode.

State: ODISHA			District: BARGARH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Barapali					
Village: Mahada					
1	720	Private	Agriculture	0.3410005 (Acre)	0.1380008
2	957	Private	Agriculture	0.2099999 (Acre)	0.0849858
3	966	Private	Agriculture	0.115 (Acre)	0.0465399
4	966/1691	Private	Agriculture	1.09 (Acre)	0.441117
5	967	Private	Residential	0.16 (Acre)	0.0647511
6	967/1728	Private	Residential	0.2 (Acre)	0.0809389
7	968	Private	Agriculture	0.433999 (Acre)	0.1756374
8	969	Government	Non Agriculture	0.07 (Acre)	0.0283286
9	971	Private	Agriculture	0.324 (Acre)	0.131121
10	972	Private	Agriculture	1.529999 (Acre)	0.6191825
11	978	Private	Agriculture	0.2590003 (Acre)	0.1048159
12	979	Private	Agriculture	0.107 (Acre)	0.0433023
13	980	Private	Agriculture	0.0299999 (Acre)	0.0121408
Village: Dhangerpali					
14	42	Private	Agriculture	0.14 (Acre)	0.0566572
15	47	Private	Agriculture	0.0139999 (Acre)	0.0056657
16	47/1481	Private	Agriculture	0.0457 (Acre)	0.0184945
17	48	Private	Non Agriculture	0.46 (Acre)	0.1861594
18	49	Government	Non Agriculture	0.17 (Acre)	0.0687981
19	50	Private	Non Agriculture	0.0600001 (Acre)	0.0242817
20	51	Private	Agriculture	0.1000001 (Acre)	0.0404695
21	52	Private	Agriculture	0.462 (Acre)	0.1869688
22	53	Private	Agriculture	0.113 (Acre)	0.0457305
Village: Barapali					
23	2870	Government	Non Agriculture	0.015 (Acre)	0.0060704

24	2871	Government	Non Agriculture	0.0090001 (Acre)	0.0036423
25	2872	Government	Non Agriculture	0.036 (Acre)	0.014569
26	2873	Government	Non Agriculture	0.009 (Acre)	0.0036423
27	2874	Government	Non Agriculture	0.0289999 (Acre)	0.0117361
28	2887	Private	Agriculture	0.016 (Acre)	0.0064751
29	2887/10198	Private	Residential	0.006 (Acre)	0.0024282
30	2887/6050	Private	Residential	0.006 (Acre)	0.0024282
31	2887/6745	Private	Agriculture	0.0050001 (Acre)	0.0020235
32	2887/6795	Private	Agriculture	0.003 (Acre)	0.0012141
33	2887/8852	Private	Agriculture	0.0070001 (Acre)	0.0028329
34	2887/8853	Private	Agriculture	0.001 (Acre)	0.0004047
35	2887/9255	Private	Residential	0.011 (Acre)	0.0044516
36	2887/9360	Private	Agriculture	0.005 (Acre)	0.0020235
Total					2.6680293

[F. No. Ro/BBSR/11017/LA/97/2016/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director